

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 जून 2021—आषाढ़ 1, शक 1943

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जून 2021

क्र. एफ-19-4-2020-बारह-1.—खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जिला बालाघाट के 850 वर्ग कि. मी. (ब्लॉक-ए 585 वर्ग कि.मी. एवं ब्लॉक-बी 265 वर्ग कि.मी.) क्षेत्र को माॅयल लिमिटेड के पक्ष में, मैगनीज खनिज के पूर्वोक्षण कार्य हेतु अधिसूचित करती है. क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें नीचे दी गई हैं:—

क्र. (1)	अक्षांस (2)	देशांस (3)
1	21° 35' 53.59"	79° 35' 37.294"
2	21° 36' 35.349"	79° 55' 21.552"
3	21° 46' 46.457"	79° 55' 26.27"
4	21° 46' 43.03"	79° 43' 1.023"
5	21° 46' 28.083"	79° 41' 26.592"
6	21° 45' 58.398"	79° 41' 23.632"
7	21° 45' 13.802"	79° 40' 56.285"
8	21° 44' 42.965"	79° 40' 49.494"
9	21° 44' 39.483"	79° 40' 2.165"
10	21° 44' 35.625"	79° 39' 33.147"
11	21° 44' 3.593"	79° 39' 22.438"
12	21° 43' 24.575"	79° 39' 38.324"
13	21° 42' 36.67"	79° 40' 2.637"
14	21° 42' 47.491"	79° 40' 12.71"

(1)	(2)	(3)
15	21° 42' 25.919"	79° 40' 15.523"
16	21° 41' 27.566"	79° 39' 15.536"
17	21° 41' 48.883"	79° 38' 10.487"
18	21° 42' 14.318"	79° 38' 9.495"
19	21° 42' 30.748"	79° 35' 59.098"
20	21° 41' 24.996"	79° 36' 17.421"
21	21° 41' 10.499"	79° 36' 32.823"
22	21° 40' 35.832"	79° 36' 22.106"
23	21° 40' 3.259"	79° 35' 42.709"
24	21° 39' 42.098"	79° 35' 37.28"
25	21° 39' 35.143"	79° 35' 20.219"
26	21° 39' 20.994"	79° 35' 13.224"
27	21° 38' 56.684"	79° 35' 37.722"
28	21° 48' 18.783"	79° 55' 34.255"
29	21° 48' 16.327"	80° 4' 47.083"
30	21° 57' 50.074"	80° 4' 25.741"
31	21° 57' 37.631"	79° 57' 47.529"
32	21° 56' 18.057"	79° 55' 31.418"

1. मॉयल लिमिटेड, अधिसूचित क्षेत्र में पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिये संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश को सूचना देगा.
2. पूर्वेक्षण कार्य की अवधि 3 वर्ष के और विस्तार के अध्याधीन रहते हुए 2 वर्ष की रहेगी, परंतु किसी भी दशा में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
3. मॉयल लिमिटेड, खान (खनिज अन्तर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण संक्रियाएँ संपादित करेगा तथा निर्धारित समय के भीतर विस्तृत पूर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
4. पूर्वेक्षण कार्य के पश्चात् यदि अधिसूचित क्षेत्र में आवेदित खनिज या नवीन खनिजों की विद्यमानता प्रमाणित होती हैं, तो मॉयल लिमिटेड त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन अनुबंध दिनांक 27-10-2016 के अधीन उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करेगा.
5. मॉयल भूमि स्वामी से आवश्यक अनुज्ञाप्राप्त कर कार्य करेंगे.
6. यदि पूर्वेक्षण कार्य वन भूमि में किया जाए, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञा वन विभाग से प्राप्त की जाएगी.
7. पूर्वेक्षण कार्य प्रतिबंधात्मक क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा.
8. यह अधिसूचना विधिक रूप से स्वीकृत अथवा आवेदित खनि रियायत क्षेत्रों को प्रभावी नहीं करेगी.

9. यदि अन्य शासकीय विभाग, जैसे जी. एस. आई., एटॉमिक मिनरल डिवीजन आदि पूर्वेक्षण क्षेत्र में कार्य करने का आशय रखते हैं, तो मॉयल उनके कार्य को प्रभावित नहीं करेगा.
10. ऐसे कार्य के लिये संबंधित जिला कलक्टर / वन मण्डलाधिकारी / खनिज अधिकारी या किसी अन्य शासकीय अधिकारी को सम्यक् सहयोग प्रदान किया जाएगा.
11. कार्य प्रारंभ करने की जानकारी जिला कलक्टर को प्रदान की जाएगी.
12. नियमों का कोई उल्लंघन पाए जाने पर अधिसूचना प्रतिसंहत की जा सकेगी.

No. F-19-4-2020-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 67 of the Minerals (other than Atomic and Hydro-Carbons Energy Minerals) Concession Rule, 2016, the State Government, hereby notifies the area of 850 Sq. km. (585 sq. km of Block-A & 265 sq. km. of Block-B) of District Balaghat, in favour of MOIL Limited for prospecting work of Manganese. Details of area and conditions are given below :—

No. (1)	Latitudes (2)	Longitudes (3)
1	21° 35' 53.59"	79° 35' 37.294"
2	21° 36' 35.349"	79° 55' 21.552"
3	21° 46' 46.457"	79° 55' 26.27"
4	21° 46' 43.03"	79° 43' 1.023"
5	21° 46' 28.083"	79° 41' 26.592"
6	21° 45' 58.398"	79° 41' 23.632"
7	21° 45' 13.802"	79° 40' 56.285"
8	21° 44' 42.965"	79° 40' 49.494"
9	21° 44' 39.483"	79° 40' 2.165"
10	21° 44' 35.625"	79° 39' 33.147"
11	21° 44' 3.593"	79° 39' 22.438"
12	21° 43' 24.575"	79° 39' 38.324"
13	21° 42' 36.67"	79° 40' 2.637"
14	21° 42' 47.491"	79° 40' 12.71"
15	21° 42' 25.919"	79° 40' 15.523"
16	21° 41' 27.566"	79° 39' 15.536"
17	21° 41' 48.883"	79° 38' 10.487"
18	21° 42' 14.318"	79° 38' 9.495"
19	21° 42' 30.748"	79° 35' 59.098"
20	21° 41' 24.996"	79° 36' 17.421"
21	21° 41' 10.499"	79° 36' 32.823"
22	21° 40' 35.832"	79° 36' 22.106"
23	21° 40' 3.259"	79° 35' 42.709"
24	21° 39' 42.098"	79° 35' 37.28"
25	21° 39' 35.143"	79° 35' 20.219"

(1)	(2)	(3)
26	21° 39' 20.994"	79° 35' 13.224"
27	21° 38' 56.684"	79° 35' 37.722"
28	21° 48' 18.783"	79° 55' 34.255"
29	21° 48' 16.327"	80° 4' 47.083"
30	21° 57' 50.074"	80° 4' 25.741"
31	21° 57' 37.631"	79° 57' 47.529"
32	21° 56' 18.057"	79° 55' 31.418"

1. MOIL Limited shall intimate to Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh for commencement of prospecting work in the notified area.
2. The period of prospecting work shall remain 2 years subject to further extension of 3 years but in no case will exceed 5 years.
3. MOIL Limited shall undertake prospecting operations in accordance with the provisions of The Mines (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 and shall submit detailed prospecting report within stipulated framework of time.
4. After prospecting work, if the applied mineral or new minerals existence is proved in notified area, then the MOIL Limited shall comply with the conditions mentioned under tripartite Memo of Understanding Agreement dated 27-10-2016.
5. MOIL shall work with necessary permissions obtained from the land owners.
6. If the prospecting work carried out in the forest land, NOC/Permission shall be obtained from forest department.
7. Prospecting work shall not be carried out in the restricted areas.
8. This notification shall not affect, legally granted or applied mineral concession areas.
9. If other government departments like GSI, Atomic Mineral Division etc, intend to work in the prospecting area. MOIL shall not affect their work.
10. Due Cooperation shall be provided to concerned District Collector/DFO/Mining officer or any other government officer for such work.
11. Information of the commencement of the work shall be provided to District Collector.
12. Notification can be revoke any time, if any violation of the rules found.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.